125

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3523/2018/इंदौर/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 31.03.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 172/अपील/2015-16.

बाबुसिंह पिता श्री अजबसिंह
निवासी ग्राम खुडेल खुर्द,
तह. व जिला इंदौर ....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन ....अनावेदक

श्री टी.सी. यादव, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमंत मूंगी, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/5/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 31.03.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक बाबुसिंह द्वारा उसके स्वामित्व एवं कब्जे की कृषि भूमि ग्राम मुंडला जेतकरण सर्वे नं. 227 रकबा 5.50, सर्वे नंबर 225 रकबा 0.49 एकड़ कुल रकबा 2.371 हैक्टेयर का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्र. 1अ/4724 दिनांक 13.07.1971 के द्वारा फूलीबाई पति पुनाजी से क्रय की थी, तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा प्र. क्र. 56/अ-6/12-13 दर्ज कर दिनांक 25.06.2013 को आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व खुडेल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा दिनांक 31.12.2015 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31.03.2018 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) संहिता की धारा 111 के अनुसार राजस्व न्यायालय के किसी भी आदेश की विधि सम्मतता को चैलेंज करने का दुखित पक्षकार को अधिकार है एवं उक्त प्रकरण की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है एवं सिविल न्यायालय के निर्णय सर्वोपरि है एवं वे राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है, उक्त विधिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक भूल की है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज पर कोई विचार नहीं किया है और न ही उन पर कोई फाईंडिंग दी है एवं यह भी नहीं लिखा है कि उक्त दस्तावेज किस आधार पर अस्वीकार किये जाने योग्य है एवं मनमाना आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधि की भूल की है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी विचार नहीं किया है कि दाविया भूमि मूल रूप से कृषक श्रीमती फुलीबाई पति पुनाजी की मालकी की थी एवं उसे रजि. विक्रय पत्र क्र. 1अ/4724 दिनांक 13.07.1971 के जरिए आवेदक द्वारा विधिवत क्रय किया होकर उस पर मालकाना हक प्राप्त किया है और इस वजह से उक्त भूमि आवेदक की मालकी की है तथा सक्षम अधिकारी का आदेश दिनांक 30.06.1982 उक्त विक्रय पत्र के पश्चात् का है एवं उक्त आदेश जो प्रदर्श डी/1 है, उसे सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त घोषित किया जा चुका है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी विचार नहीं किया है कि राजस्व न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन अप टू डेड रखो, ऐसा भी वरिष्ठ राजस्व

न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने में विधि की एवं तथ्यों की भूल की है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी रिपोर्ट पर भी कोई विचार नहीं किया है, जिसमें यह बताया गया है कि दाविया भूमि पर आवेदक द्वारा कृषि की जा रही है। यदि अधीनस्थ न्यायालय दाविया भूमि को शासकीय मानता है तो आवेदक का कब्जा किस आधार पर है, इस बाबद कोई विधिसम्मत आदेश पारित नहीं किया गया है।

(6) अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी विचार नहीं किया है कि म.प्र. शासन द्वारा दीवानी न्यायालय में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही समाप्त हो चुकी है, फिर भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त करने में विधि की भूल की है।

(7) अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि अनुसार स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है एवं अपास्त किये जाने योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदक पत्र प्र. क्र. 56/अ-6/12-13 को स्वीकार किया जाकर आवेदक का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर मालिक नाते दर्ज किए जाने हेतु आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने व्यवहार न्यायालय के आदेश के आधार पर नामान्तरण मांगा है । प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि कृषि भूमि सीलिंग अधिनियम में अतिशेष घोषित हुई है । आवेदक को चाहिये था कि वह सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अब्जेक्शन लगाता । सार्वजनिक उद्घोषणा प्रावधान अनुसार जारी होती है अथवा सक्षम अधिकारी के आदेश को अपील/निगरानी में चुनौती देता । वर्ष 1988-89 में सीलिंग

अधिनियम में धारा 46 जोड़ी जाकर सीलिंग प्रकरणों में व्यवहारन्यायालयों का जूरीडिक्शन समाप्त किया गया । आवेदक ने व्यवहार न्यायालय में प्रकरण 1995 में दायर किया अर्थात् तब सिविल न्यायालय को इस संबंध में विनिश्चय का अधिकार नहीं था, अतः उनका निर्णय शासन पर बन्धनकारी नहीं है । अतः ऐसी डिक्री के आधार पर आवेदक कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2018 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर